Title: Requested the Ministry of Human Resource Developoment to direct the Government of Rajasthan regarding the payment of the arrears to the University teachers according to the recently revised scale of UGC.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के वेतनमानों में 1.1.1996 से संशोधन करके 1998 में अपनी स्वीकृति राज्य सरकारों को दे दी थी। केन्द्र सरकार के आदेशानुसार 12.5.1999 को राजस्थान के विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये अपनी स्वीकृति दे दी थी। तत्पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान सरकार को शिक्षकों के एरियर्स के रूप में 75 करोड़ रुपये दिये लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एरियर न मिलने पर वे धरने और हड़ताल पर बैठे हुये हैं।

सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये 75 करोड़ रुपये पिछले दो साल से पड़े हुये हैं और शिक्षकों को नहीं दिये गये है। शिक्षकों के धरने और हड़ताल पर जाने से विद्यार्थियों की शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय राजस्थान सरकार को निर्देश प्रदान करे कि शिक्षकों का बकाया एरियर जल्दी से जल्दी दिया जाये।